राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन

योजना भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर

(दूरभाष नं. 0771–2511227, 2511223) Email-distplan.cg@gmail.com

---

राज्य के प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिशा–निर्देश

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के प्रासंगिक एवं विकासोन्मुखी विषयों पर शोध/अध्ययन प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु आयोग के ज्ञापन क्रमांक 800/रायोआ/2020, दिनांक 07–08–2020, ज्ञापन क्रमांक–163/रायोआ/2021,दिनांक 19–01–2021,तथा ज्ञापन क्रमांक–1408/रायोआ/2021, दिनांक 07–07–2021 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों में कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट एवं सरलीकृत करने के उद्देश्य से पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों को निरस्त करते हुये निम्नानुसार संशोधित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. प्रस्तावना एवं उद्देश्य :–

1.1 राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़, शैक्षणिक संस्थाओं/शासन के विभागों/शोधकर्ताओं/विद्वानों/पी.एच.डी. छात्रों आदि से ऐसे विषयों पर अध्ययन प्रस्ताव आमंत्रित करने का इच्छुक है जो राज्य के संवृद्धि व विकास के दृष्टिकोण से परिवर्तनकारी एवं क्रियान्वयन–महत्व (Transformational and Translational significance) के हों।

1.2 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे अध्ययन को प्रोत्साहित करना है जो राज्य के विकास संबंधित विषयों के अतिरिक्त राज्य के चिंता योग्य अन्य मुद्दों का समुचित समाधान देने में सफल हो सकें। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षो का लाभकारी उपयोग राज्य के शासकीय विभागों द्वारा किया जा सकेगा।

1.3 आयोग ऐसे अध्ययनों को बढ़ावा देने पर विचार कर सकता है, जो राज्य के लिए तत्काल प्रासंगिक हो और इसकी एजेंसियों/विभागों के लिए सहायक हो।

2. पात्रता :–

2.1 राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा योजनांतर्गत आर्थिक सहायता केवल अधोलिखित संस्थाओं/व्यक्तियों को, जो ऐसे अध्ययन करने के इच्छुक हों, जिनके प्रस्तावित विषय उपरोक्त कंडिका 1 में उल्लिखित उद्येश्यों की पूर्ति करते हों को प्रदान की जा सकेगी:–

अ) भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षण संकाय और शोध विद्वान।

ब) केन्द्र और राज्य शासन के विभाग/निगम/बोर्ड आदि के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी।

स) केन्द्र शासन/राज्य शासन/भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के द्वारा स्थापित शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी ।

द) भारत के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्था/संगठन।

इ) भारत के पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट ।

10/8/2021

फ) एक स्वतंत्र शोधकर्ता, जो राज्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 3 वर्ष से अधिक का अनुभव रखता है।

नोट :– अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता के व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन पर तभी विचार किया जा सकेगा जब अध्ययन प्रस्ताव उपरोक्त कंडिका–2.1 (अ) से (इ) में उल्लिखित किसी भी संस्थान या संगठन के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत किया जायेगा।

2.2 अध्ययन प्रस्ताव एक व्यक्तिगत शिक्षक/अनुसंधान विद्वान/अधिकारी या शिक्षकों के समूह/अनुसंधान विद्वानों/अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि कोई प्रस्ताव सामूहिक रूप से एक से अधिक अध्ययनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो एक अध्ययनकर्ता को प्रधान अन्वेषक (Principal Investigator) के रूप में चयनित किया जाकर प्रस्तुत अध्ययन प्रस्ताव में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए प्रधान अन्वेषक का नाम, संपर्क नंबर और ई–मेल आईडी आदि के साथ पूरा विवरण दिया जाएगा जो अध्ययन से संबंधित सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। व्यक्तिगत प्रस्तावों के संदर्भ में अध्ययन प्रस्तावक ही प्रधान अन्वेषक होंगे जिनका विस्तृत विवरण अध्ययन प्रस्ताव में देना होगा।

2.3 अध्ययन प्रस्ताव से संबंधित औपचारिकताओं को, आयोग द्वारा दी गई स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पूर्ण किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रधान अन्वेषक और संबंधित संस्थान की होगी।

2.4 किसी भी नवीन अध्ययन प्रस्ताव पर आयोग द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब प्रस्तुतकर्ता द्वारा आयोग से पूर्व में स्वीकृत अन्य किसी प्रस्ताव पर अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हों।

3. आवेदन की प्रक्रिया :–

क) सभी पात्र आवेदक अपना अध्ययन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–I), में ऑनलाइन (ई–मेल- ms.cgspc@gov.in) या ऑफलाइन सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, योजना भवन, सेक्टर–19, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुलग्नक–I के विभिन्न खंडों में निम्नानुसार जानकारियां अपेक्षित हैं:–

(I) खंड–अ: अध्ययन प्रस्ताव से संबधित सामान्य जानकारी
(II) खंड–ब: अध्ययन प्रस्ताव का विस्तृत विवरण
(III) खंड–स: प्रधान अन्वेषक (अन्वेषकों) का व्यक्तिगत विवरण
(IV) खंड–द: अध्ययन से संबंधित नियम एवं शर्तें
(V) खंड–इ: अध्ययन परियोजना के प्रधान अन्वेषक का प्रमाण पत्र

ख) प्रधान अन्वेषक यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवेदन के अनुलग्नक–I में दिये गये प्रारूप में अध्ययन की संक्षिप्त रूपरेखा, अध्ययन के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली, मदवार बजट, आवश्यक कर्मियों की संख्या, अध्ययन की कार्य अवधि आदि संबंधित पूर्ण व स्पष्ट जानकारी यथाअपेक्षित प्रस्ताव में दी जाए।

ग) आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन अपेक्षित दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

घ) अध्ययन प्रस्ताव व अंतिम रिपोर्ट अंग्रेजी या हिंदी में प्रस्तुत की जाए।

10/8/2022

4. **अनुदान की प्रकृति :–**

एक अध्ययन प्रस्ताव के लिए अधिकतम 5.00 लाख (पांच लाख) रूपये तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी जिससे संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

अ) गैर आवर्ती अनुदान :–

(i) उपकरण (केवल छोटे उपकरण) लेकिन इसमें लैपटॉप/डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपियर और अन्य सहायक उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल नहीं होंगे। यद्यपि अध्ययन प्रस्ताव के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता एवं उपलब्धता हो, तो इसे योजना आयोग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर खरीदा जा सकेगा।

(ii) पुस्तकें एवं पत्रिकाएं

गैर आवर्ती अनुदान का उपयोग प्रस्तावित अध्ययन के लिए आवश्यक उपकरण तथा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। अध्ययन की पूर्णता के पश्चात् अध्ययन हेतु क्रय किए गए उपकरण तथा पुस्तकें एवं पत्रिकाए आयोग की संपत्ति होने के कारण प्रधान अन्वेषक द्वारा राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को जमा करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत प्रस्ताव शासकीय संस्थान/विभाग से संबंधित होने की स्थिति में क्रय किए गए उपकरण तथा पुस्तकें एवं पत्रिकाए प्रधान अन्वेषक द्वारा संबंधित शासकीय संस्थान/विभाग में जमा कराया जा सकेगा जिसकी प्रविष्टि संबंधित संस्थान/विभाग के स्टाक पंजी में **राज्य योजना आयोग से प्राप्त अनुदान** के रूप में की जाएगी।

ब) आवर्ती अनुदान :–

(i) **सेवाएं प्राप्त करने हेतु :–**

अध्ययन के अंतर्गत विशेष तकनीकी कार्यो जैसे सर्वेक्षण, नमूना संग्रह (Sample collection) एवं विश्लेषण आदि के लिए प्रधान अन्वेषक/विश्वविद्यालय/संस्थान के पास प्रशिक्षित/विशेषज्ञ जनशक्ति तथा प्रयोगशालाएं, तकनीकि सुविधाएं आदि उपलब्ध न होने तथा अध्ययन के लिए आवश्यक होने की स्थिति में अपेक्षित सेवाएं भुगतान के आधार पर प्राप्त की जा सकेंगी।

(ii) **आकस्मिक अनुदान :–**

स्वीकृत आकस्मिक अनुदान का उपयोग टाइपिंग, स्टेशनरी, फोटोस्टेट कॉपी, डाक, टेलीफोन कॉल, इंटरनेट, फैक्स , गणना, अन्य उपभोज्य (Consumables) वस्तुओं और अध्ययन के लिए आवश्यक मुद्रण और इसके प्रलेखन पर किया जा सकेगा। इस शीर्ष के अंतर्गत ऑडिट फीस के व्यय का भी दावा किया जा सकेगा।

10/8/2021

(iii) **विशेष आवश्यकताएं :–**

अध्ययन से संबंधित कोई अन्य विशेष आवश्यकता, जो योजना के तहत सहायता के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत नहीं आती है, के लिए इस मद के अंतर्गत स्वीकृत बजट का उपयोग किया जा सकेगा ।

(iv) **यात्रा एवं फील्ड कार्य :–**

यात्रा एवं फील्ड कार्य शीर्ष के तहत आबंटित राशि का उपयोग स्वीकृत अध्ययन हेतु आंकड़ा संग्रहण एवं अन्य आवश्यक जानकारियों आदि के संग्रहण जैसे कार्यों के लिए किया जाएगा। इस राशि का उपयोग सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए नहीं किया जाएगा।

(स) पुनर्विनियोजनः–

प्रधान अन्वेषक द्वारा प्रत्येक शीर्ष के तहत आबंटित आवर्ती अनुदान की अधिकतम 20 प्रतिशत राशि का पुनर्विनियोजन राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ की पूर्व अनुमति लेकर किया जा सकेगा।

(द) कार्य अवधि एवं कार्यान्वयन :–

(i) अध्ययन की कार्य अवधि 04 माह की होगी, जिसे राज्य योजना आयोग की अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा। यदि अध्ययनकर्ता द्वारा इस प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है तो अनुलग्नक–I खंड द के नियम एवं शर्त 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ii) स्वीकृत अनुदान के प्रथम किस्त जारी करने की तिथि ही अध्ययन के प्रारम्भ होने की प्रभावी तिथि होगी।

(इ) अनुलग्नकों में उल्लेखित नियमों और शर्तों का अनुपालन :–

अध्ययन के प्रस्तावक के लिए आवेदन पत्र के अनुलग्नक–I (खंड–द) में उल्लेखित नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

5. स्वीकृति की प्रक्रिया :–

5.1 सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को प्राप्त अध्ययन प्रस्तावों की जांच इस हेतु आयोग में गठित **प्राथमिक स्क्रूटनी समिति** द्वारा की जायेगी एवं आवश्यक होने पर समिति द्वारा इस हेतु विषय विशेषज्ञ/विशेषज्ञों की सहायता ली जायेगी। प्राथमिक स्क्रूटनी समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1. वरिष्ठ संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग – अध्यक्ष
2. संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग – सदस्य
3. संयुक्त संचालक (वित्त), राज्य योजना आयोग – सदस्य
4. शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग – संयोजक

5.2 प्राथमिक स्क्रूटनी समिति प्रधान अन्वेषक को प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित कर सकेगी। प्रस्तुतीकरण में अनुपस्थित प्रधान अन्वेषक के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। जब तक आयोग

10/8/2022

अन्यथा अनुमति न दे अनुपस्थित प्रधान अन्वेषक को नवीन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्राथमिक स्क्रूटनी समिति किसी भी स्पष्टीकरण की मांग कर सकती है या यदि आवश्यक हो तो संशोधन का सुझाव दे सकती है। संशोधनों को शामिल करते हुए संशोधित प्रस्ताव उपरोक्त कंडिका 3(क) में उल्लेख अनुसार सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग को प्रस्तुत करना होगा।

5.3 उपरोक्त पैरा 5.1 में उल्लेख अनुसार प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने के उपरान्त समिति की अनुशंसा सहित संबंधित प्रस्ताव विचार हेतु आयोग की उच्चस्तरीय **अनुमोदन समिति** के समक्ष समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति के संबंध में अनुमोदन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

5.4 **अनुमोदन समिति** का स्वरूप निम्नानुसार होगा :–

1. माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग	–	अध्यक्ष
2. माननीय सदस्य , राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग	–	सदस्य
4. कुलपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर	–	सदस्य
5. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।	–	सदस्य
6. शोध अधिकारी, राज्य योजना आयोग	–	संयोजक

5.5. अनुमोदन समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर एवं योजनान्तर्गत निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा **संबंधित संस्थान से समझौता ज्ञापन (अनुलग्नक–II)** की हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त करने के उपरांत स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।

6. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया :–

6.1 स्वीकृत राशि अध्ययन की कुल अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित कुल अनुदान के 40% , 30% और 30% के अनुपात में तीन किस्तों में जारी की जाएगी।

6.2 पहली किस्त (40%) अनुमोदन–सह–स्वीकृति आदेश जारी होने के तुरंत बाद जारी की जाएगी। भुगतान संस्थान/विभाग के प्रमुख को किया जाएगा और संबंधित आवेदक/ प्रधान अन्वेषक को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संस्थान/विभाग के प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

6.3 दूसरी किस्त (30%) निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर जारी की जायेगी:–

(अ) अंतरिम रिपोर्ट (फील्ड सर्वे की पूर्णता के साथ) के प्राप्त होने पर तथा रिपोर्ट के सुझावों /निष्कर्षों पर आयोग में प्रस्तुतीकरण में स्वीकार योग्य पाये जाने पर ।

(ब) निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक–III) में प्रथम किस्त की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, जो संस्थान/ विभाग प्रमुख तथा प्रधान अन्वेषक के द्वारा अभिप्रमाणित हो, के प्राप्त होने पर।

10/8/2022

6.4 तीसरी और अंतिम किस्त (30%) निम्नलिखित शर्ते पूरी होने पर आयोग द्वारा जारी की जायेगी:–

(अ) अनुलग्नक–IV में रिपोर्ट संबंधित संक्षिप्त विवरण एवं अंतिम रिपोर्ट की आयोग में प्राप्ति तथा राज्य योजना आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति। यदि अंतिम रिपोर्ट में कोई कमी पाई जाती है, तो तीसरी किश्त तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक रिपोर्ट की कमियों को दूर नहीं किया जाता है।

(ब) आयोग द्वारा स्वीकृत अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की 5 हार्ड कॉपी जिसमें अनुलग्नक–IV में रिपोर्ट संबंधित संक्षिप्त विवरण समाहित हो साथ ही सभी की सॉफ्ट कॉपी (पीडीएफ एवं एमएसवर्ड में) की आयोग में प्राप्ति।

(स) प्रधान अन्वेषक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान किए गए व्यय का समेकित मदवार विस्तृत विवरण की आयोग में प्राप्ति। ।

(द) अध्ययन के लिए किए गए वास्तविक व्यय के लिए निर्धारित प्रारूप में एक समेकित लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र जो शासकीय आंतरिक लेखा परीक्षक/चार्टर्ड अकाउटेंट तथा प्रधान अन्वेषक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो तथा मुहरबंद लिफाफे में हो की आयोग में प्राप्ति। ।

(इ) अप्रयुक्त अनुदान, यदि कोई हो, एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पक्ष में तैयार) के माध्यम से तुरंत वापस किया जाना चाहिए।

प्रधान अन्वेषकों/संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अध्ययन के पूरा होने पर तुरंत खातों का निपटान करें।

7. सामान्य :–

7.1 अध्ययन किसी भी स्थिति में हस्तांतरणीय नहीं है।

7.2 यदि प्रधान अन्वेषक परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे जारी की गई पूरी राशि सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये ब्याज सहित वापस करनी होगी। यदि प्रधान अन्वेषक राशि वापिस करने में चूक करता है तो राशि की वापसी का दायित्व संस्थान पर होगा।

7.3 यदि प्रधान अन्वेषक का उसके मूल कार्यस्थल से किसी अन्य स्थान/संस्थान में स्थानांतरण किया जाता है, तो दोनों ही संस्थानों से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लिखित होगा कि स्वीकृत अध्ययन के सुचारू संपादन के लिए प्रधान अन्वेषक का जिस संस्थान में स्थानान्तरण होता है उस संस्थान द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

7.4 अध्ययन के परिणाम का उपयोग आयोग द्वारा जैसा उचित समझा जाये किया जाएगा तथा रिपोर्ट आयोग, संस्था और प्रधान अन्वेषक की संयुक्त संपत्ति होगी।

7.5 रिपोर्ट की एक्जीक्यूटिव समरी, अध्ययन के दस्तावेज, मोनोग्राफ, अकादमिक पत्र राज्य योजना आयोग की वेब साईट पर प्रकाशित किये जा सकेंगे।

10/8/2022

सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक / 1611 / सस / रायोआ / 2022 रायपुर, दिनांक 17 / 08 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय उपाध्यक्ष, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
3. निज सहायक, माननीय सदस्य, रायोआ., योजना भवन, नवा रायपुर।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मान. मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास, योजना भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
5. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
6. विभागाध्यक्ष, छ.ग. शासन के समस्त विभाग नवा रायपुर।
7. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर।
8. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
10. कुलसचिव, ...
    विश्वविद्यालय / संस्थान, छत्तीसगढ़।
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, आयोग की वेबसाईट : http://spc.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु।

10/8/2022

सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़

योजना भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

खन्ड–अ

अध्ययन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

(5 प्रतियो में जमा किया जाए) अधिकतम अनुदान राशिः रूपये 5.00 लाख

1. प्रधान अन्वेषक एवं सह अन्वेषक (अन्वेषकों) के नामः

   पदनामः

   विभाग (पूरा पता)

2. अध्ययन का शीर्षक :

   (अ) प्रस्ताव

   (ब) व्यापक क्षेत्र/ फील्ड वर्गीकरण

3. अध्ययन को पूरा करने के लिए अपेक्षित

   अवधि :

4. आवश्यक कुल अनुदान :

   कृपया निम्नलिखित शीर्षों के तहत ब्यौरा दें

   (स्टाफ, उपकरण, आकस्मिकताओं, आदि के तहत औचित्यपूर्ण विस्तृत विवरण)

अ. अनावर्ती (उपकरण यदि आवश्यक हो) अधिकतम रू.1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र)

क्र.	खरीदे जाने वाले उपकरण/ सुविधाओं के नाम	उपकरण की विशिष्टता	इकाइयों की संख्या	अनुमानित लागत (रु.) अद्यतन स्थिति में

टीपः– इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, कम्प्यूटर संबंधी बाह्य उपकरणों एवं साफ्टवेयर क्रय का प्रस्ताव मान्य नहीं किया जायेगा। (दिशा–निर्देश की कंडिका–4(अ) (i) के अनुसार)

ब. आवर्ती :–

क्र.	आईटम	बजट	योग
1.	सेवाएं संबंधित विवरण दें – – श्रेणीवार आवश्यक जनशक्ति की संख्या, – आवश्यक कार्य दिवसों की संख्या – प्रति व्यक्ति दिवस निधि की आवश्यकता – – अन्य संस्थानों/विशेषज्ञों से प्रयोगशालाएं, तकनीकि सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं प्राप्त करना – कुल फंड की आवश्यकता।		

18/8/2021

2.	आकस्मिक व्यय – स्टेशनरी, किताबें, पुनर्मुद्रण		
3.	विशेष आवश्यकताएं		

(i) आकस्मिकता का उपयोगः

(कृपया निर्दिष्ट करें कि इस राशि का क्या उपयोग किया जाना है)।

(ii) उपकरण के लिए अनुदान का उपयोगः

(उपकरण का सामान्य नाम, मॉडल एवं विनिर्माण का विवरण एवं अध्ययन के संदर्भ में उसका उपयोग का उल्लेख किया जाना चाहिए)

घोषणा और सत्यापन

मैंने/हमने छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्ययन अंतर्गत अनुदान स्वीकृति के नियम एवं शर्तों को पढ़ लिया है। अध्ययन प्रस्ताव स्वीकृत होने पर आवश्यक संस्थागत सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। व्यय का पूर्ण लेखा परीक्षित लेखा एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।

दिनांक :– .....

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर	संस्थान प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मुहर

10/01/2022

खंड – ब

विस्तृत अध्ययन प्रस्ताव

(कृपया नए पृष्ठ पर शुरू करें और इस खंड को प्रस्ताव में जोड़ें)

अध्ययन का मूल्यांकन करने के संबंध में आयोग एवं मूल्यांकनकर्ताओं की सुविधा के लिए यह जानकारी पर्याप्त होनी चाहिए, और इसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए:

अ) अध्ययन का शीर्षक:

ब) अध्ययन के उद्देश्य:

विशेष रूप से समस्याओं का विवरण और अध्ययन की प्रासंगिकता का विवरण (लगभग 150 शब्द)

स) विस्तृत अध्ययन योजना (लगभग 1,500 शब्दों में):

योजना में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए विशिष्ट जानकारी शामिल होनी चाहिए: –

1. समुचित संदर्भ ग्रंथ सूची के साथ विषय वस्तु का वर्तमान ज्ञान तथा क्षेत्र में मौजूदा ज्ञान में व्याप्त कमियों को उजागर करना।
2. पूर्व में किया गया प्रारंभिक कार्य, यदि कोई हो।
3. सर्वेक्षण और डाटा प्रोसेसिंग आदि के डिजाइन के विवरण के साथ अध्ययन कार्य की योजना।
4. इस अध्ययन को किये जाने का वैज्ञानिक/तकनीकी महत्व (250 शब्दों में)।
5. विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम की चरणबद्धता का विवरण दें। जैसे (ए) पायलट अध्ययन (बी) डेटा संग्रह (सी) डेटा प्रोसेसिंग।
6. अध्ययन संपादन हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित विधियां।
7. प्रस्तावित अध्ययन के संभावित प्रभाव (वैज्ञानिक/तकनीकी/औद्योगिक/क्षेत्रीय आर्थिक विकास/समग्र कल्याण/क्षमता सृजन आदि के संबंध में) का विवरण दें। (अध्ययन के संबंध में तथा राज्य के लिए इसकी प्रासंगिकता 300 शब्दों में)
8. कृपया निम्नलिखित आधारों पर अध्ययन की स्वीकृति का औचित्य सिद्ध करें:

अ) नवाचार/ नावेल आइडिया/ थीम या एप्रोच में नॉवेल्टी

ब) क्षमता निर्माण/अध्ययन का विकास:

14/8/2022

स) इसके अनुप्रयोगों की व्यावहारिकता:

द) अनुप्रयोग का क्षेत्र:

इ) कोई अन्य विंदु :

प्रस्तावक (प्रस्तावकों) द्वारा शपथ

मैंने अध्ययन अनुदान के नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर:	संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर:
नाम:	एवं (मुहर)
पद:	
दिनांक :	

10/9/2021

खंड– स

(प्रधान अन्वेषक (अन्वेषकों) का व्यक्तिगत विवरण)

1.	दूरभाष क्र.		मोबाईल नं. :
	फैक्स क्र.		
	ई–मेल		
	नाम :		
	पद नाम :		
	विभागः		
	संस्था :		
	पता :		
2.	जन्म तिथि :		
3.	व्यापक विषय क्षेत्र		
4.	विशेषज्ञता का क्षेत्र		
5.	शैक्षणिक योग्यता (स्नातक से प्रारम्भ)		

डिग्री	वर्ष	विश्वविद्यालय	फील्ड
B.Sc. / BE/....			
M.Sc./ME/....			
Ph. D./..			
Others			

शोध /अध्ययन/प्रशिक्षण का अनुभव :

अवधि		संस्था	पदनाम	कार्य की प्रकृति
से	तक			

10/8/2022

6. अनुसंधान विशेषज्ञता:

(रुचि के प्रमुख वैज्ञानिक क्षेत्र)

7. संक्षिप्त विवरण:

अ) इस क्षेत्र या संबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावक/प्रस्तावकों द्वारा किए गए शोध कार्य :

ब) वर्तमान अध्ययन के लिए प्रासंगिक प्रकाशनों की सूची: (शीर्षक और संपूर्ण संदर्भ के साथ)

(i) थीसिस और संबंधित क्षेत्र:

(ii) अन्य क्षेत्रों में (सूची पृथक से संलग्न की जा सकती है)

8. उपलब्ध संस्थागत सुविधाएं:

9. प्रस्तावित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान में उपलब्ध उपकरण संबंधी सुविधाएं।

10. पूर्ण की गई परियोजना/परियोजनाए।

शीर्षक	एजेन्सी	पूर्णता का वर्ष

11. चालू परियोजनाए

शीर्षक	एजेन्सी	अवधि	प्रोजेक्ट के प्रारंभ का वर्ष	स्वीकृत राशि

10/9/2021

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर :

नाम एवं पद नाम:

दिनांक : .....

खंड– द

नियम और शर्तें

(हस्ताक्षरित किया जाए और अध्ययन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाए)

1. अध्ययन प्रस्ताव का अनुमोदन तथा जारी किये गये अनुदान इस प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट अध्ययन के लिए ही होंगे तथा अनुदान को केवल इस अध्ययन पर व निर्धारित समय–सीमा में व्यय किया जाना चाहिए जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया है। संस्थान को इस अध्ययन परियोजना के लिए किसी अन्य संगठन (सरकारी, अर्ध सरकारी, स्वायत्त या निजी) से धन प्राप्त करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है। राशि का कोई भी अव्ययित भाग छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग नवा रायपुर के पक्ष में अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से आयोग को समर्पित किया जाएगा और आयोग की विशिष्ट अनुमति से बची हुई राशि अगले वित्तीय वर्ष के लिये ले जाकर उसी अध्ययन पर व्यय करने का विचार किया जा सकेगा।
2. कार्यान्वयन संस्थान/प्रधान अन्वेषक प्रत्येक माह अध्ययन पर कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। संबंधित विशेषज्ञों/परियोजना निगरानी समिति आदि द्वारा अध्ययन की प्रगति की समीक्षा/मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसके अलावा, आयोग वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को समय–समय पर संस्थान का दौरा करने, कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और इस तरह के उपायों का सुझाव देने के लिए,जिससे परियोजना के उद्देश्यों की शीघ्र प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, नामित करेगा। अध्ययन के पूरा होने पर, इस विषय पर किए गए कार्य की समेकित रिपोर्ट की पांच प्रतियां आयोग को प्रस्तुत की जाएंगी।
3. संस्थान अध्ययन के अंत में प्रधान अन्वेषक, संस्था प्रमुख और संस्थान के वित्तीय प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुदान संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा खातों/ व्यय का एक लेखा परीक्षित विवरण, साथ ही व्यय का एक समेकित विवरण आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यक होने पर बिल और वाउचर आदि भी जमा कराना होगा।
4. अध्ययन की पहली किश्त जारी होने की तारीख से परियोजना प्रारंभ हो जाएगी।
5. अध्ययन की प्रत्येक किस्त प्राप्त होने पर कार्यान्वयन संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को भेजनी होगी।
6. संस्थान अध्ययन के लिए पृथक से लेखा परीक्षित लेखे रखेगा। यदि ब्याज अर्जित करने वाले बैंक खाते में अनुदान का एक हिस्सा या पूरा हिस्सा रखना समीचीन पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा इस प्रकार के अर्जित ब्याज की सूचना आयोग को दी जानी चाहिए।
7. संबंधित संस्थान द्वारा स्टाफ की नियुक्ति, उपकरण, सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।
8. खरीद, स्टॉक प्रविष्टियों, टूट–फूट और हानियों का उचित रिकॉर्ड सत्यापन हेतु रखा जाना चाहिए तथा सत्यापित रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अध्ययन के पूरा होने पर आयोग द्वारा प्रदत्त अनुदान से खरीदे गए उपकरण और अन्य वस्तुओं को संस्थान की स्टॉक बुक में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
9. अन्वेषक/संस्थान आयोग द्वारा स्वीकृत अध्ययन कार्य के आधार पर जो पुस्तकें/शोध पत्र/लोकप्रिय लेख/पेटेंट/कॉपी राइट आदि प्रकाशित करना चाहते हैं, उनमें आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
10. यदि अध्ययन से कोई पेटेंट फाइलिंग होती है, तो ऐसी फाइलिंग से आयोग को सूचित किया जाएगा तथा आयोग के बौद्धिक संपदा अधिकार केंद्र के उचित प्रयास के बाद, किसी अन्य आईपी का पेटेंट दायर किया जा सकता है।

18/8/2021

11. अध्ययन के निष्कर्ष और परिणाम में भविष्य के आगे के शोध/अध्ययन या अन्य संभावित उपयोग के संबंध में टिप्पणी होनी चाहिए।
12. अध्ययन के निष्कर्ष में विकसित हो सकने वाले नये ज्ञान/प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी या उद्यमिता मॉडल का उल्लेख किया जाना चाहिए।
13. संस्थान उस कार्य को, जिसके लिए उसे अनुदान स्वीकृत किया गया है, किसी अन्य संस्था को कार्यान्वयन हेतु नही सौंप सकता और न ही इस हेतु प्राप्त निधियों को सहायता के रूप में बाद वाली संस्था को हस्तांतरित कर सकता है।
14. यदि अन्वेषक/संस्थान अध्ययन को निष्पादित करने या पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो उसे प्राप्त अनुदान की पूरी राशि आयोग को सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित किये गये ब्याज सहित वापस करना होगा।
15. अगर आयोग को इस बात का समाधान हो जाता है कि अनुदान का उचित उपयोग नहीं किया गया है या अध्ययन पर काम किसी लंबी अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है या जांचकर्ताओं/संस्थानों द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं की जा रही है तब आयोग के पास किसी भी स्तर पर अनुदान को समाप्त करने और ब्याज सहित पहले से भुगतान की गई राशि की वसूली का अधिकार सुरक्षित है, ।
16. यदि प्रधान अन्वेषक, जिसे अध्ययन के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया है, उस संस्थान को छोड़ देता है जहां अध्ययन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, तो वह अध्ययन पर उसके द्वारा किए गए कार्यों की पूर्ण और विस्तृत रिपोर्ट की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेगा और उसकी रिहाई की तारीख तक खर्च किया गया धन और अव्ययित शेष, यदि कोई हो, संस्थान के माध्यम से वापस करने की व्यवस्था भी करेगा।
17. जब भी संस्था से ऐसा करने के लिए कहा जाए, सभी अनुदान ग्राही संस्था की राशि स्वीकृति प्राधिकारी/लेखा परीक्षा द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।
18. स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के पास कार्य की प्रगति के भौतिक सत्यापन का अधिकार होगा जिसका खर्च अनुदानग्राही संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।
19. निर्धारित प्रारूप (साफ–सुथरी टाइप) में प्रस्ताव प्रस्तुत करने से लेकर सभी सूचनाएँ, वित्तीय विवरण, भौतिक प्रगति और तकनीकी डेटा रिपोर्ट, अंतिम तकनीकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएंगी।
20. आयोग द्वारा जारी अनुदान के लिए खातों के वार्षिक और अंतिम लेखा परीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए संस्थान जिम्मेदार होगा।
21. अन्य नियम और शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थानों के लिए लागू तथा उन पर प्रयोज्य हैं।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षरः	**संस्था प्रमुख के हस्ताक्षरः**
सहयोगी अन्वेषकों के हस्ताक्षर नाम सहितः	**एवं (मुहर)**

10/8/2021

खंड – इ

अध्ययन परियोजना के प्रधान अन्वेषक का प्रमाण पत्र

मैं (प्रधान अन्वेषक का नाम).....पिता / पति का नाम.....
..... इस अध्ययन के संबंध में प्रमाणित करते हैं:–

1. आयोग को प्रस्तुत अध्ययन प्रस्ताव (अध्ययन का शीर्षक उल्लेखित किया जाए).....
.....के संबंध में आवेदन में प्रस्तुत समस्त तथ्य मेरी जानकारी अनुसार सत्य है।

2. राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किया गया यह अध्ययन प्रस्ताव वित्तीय सहायता के लिए अन्यत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रस्तावित अध्ययन कार्य अपने उद्देश्य एवं विषयवस्तु में मौलिक है और मेरी जानकारी में किसी अन्य संस्थान में यह अध्ययन नहीं किया गया है। मैंने अध्ययन के लिए साहित्य की खोज में उचित परिश्रम किया है।

5. मैं इस अनुदान के लिए राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के संबंधित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूं।

14/01/2021

प्रधान अन्वेषक का हस्ताक्षर

दिनांक .....

स्थान .....

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़

एवं

....

के मध्य अध्ययन कार्य के संपादन हेतु

समझौता ज्ञापन (प्रारूप)

दिनांक ....

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन जिसे इसके बाद 'एमओयू' के रूप में संदर्भित किया जाए, जिस पर निम्नलिखित दो पक्षों द्वारा ..... दिवस..... 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं:–

- राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ को इसके बाद एसपीसी कहा जाएगा (जिस अभिव्यक्ति को सामग्री या उसके अर्थ के प्रतिकूल होने तक, उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशितियों को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन एक संगठन है जिसे एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने का तथा भावी पीढ़ी के लिए सतत विकास को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय के विभिन्न विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को साक्ष्य आधारित सलाह प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयास में एसपीसी प्रतिष्ठित और प्रासंगिक क्षेत्रों में उपलब्ध अन्य थिंक टैंकों के साथ सहयोग करने के इच्छुक शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने का प्रयास करता है।

- .....

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षण संकाय और अनुसंधान विद्वान / केंद्र और राज्य सरकार के विभागों / निगमों / बोर्डों आदि के अधिकारी /अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारी / भारत के एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट /एक स्वतंत्र शोधकर्ता जिसे इसके बाद "प्रस्तावक संस्थान" कहा जाएगा

जो विकास उन्मुख अध्ययन को निष्पादित करने के लिए अनिवार्य है।

लक्ष्य और उद्देश्य

दोनों पक्ष प्रधान अन्वेषक के माध्यम से यह अध्ययन जिसका राज्य और इसके लोगों की संवृद्धि एवं विकास के दृष्टिकोण से परिवर्तनकारी एवं क्रियान्वयन महत्व (Transformational and Translational significance) है, संपादित करने के उद्देश्य से इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हैं ।

एमओयू का स्कोप

अब यह विलेख दोनों पक्षों के बीच निम्नानुसार सहमति का साक्ष्य है –

एसपीसी इस योजना के तहत अध्ययनकर्ता द्वारा प्रस्तुत अध्ययन प्रस्ताव के आधार पर अध्ययनकर्ता को उपरोक्त प्रस्तावक संस्थान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। एसपीसी द्वारा इसकी प्रयोज्यता और उपयोगिता के लिए प्रस्ताव की विधिवत समीक्षा की गई है एवं इस अध्ययन प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु सहमति व्यक्त की गई है। प्रस्तावक संस्थान इस अध्ययन प्रस्ताव को पूर्ण करने हेतु प्रधान अन्वेषक को एवं एसपीसी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु सहमत है।

समझौता ज्ञापन की अवधि

यह समझौता ज्ञापन स्वीकृत अध्ययन अवधि के लिए वैध होगा जिसका उल्लेख एसपीसी द्वारा जारी आदेश में किया जाएगा।

18/8/2022

एसपीसी की जिम्मेदारियां

• अध्ययन आदि के प्रस्ताव को स्वीकार करना, परीक्षण करना, स्वीकृति देना और स्वीकृत निधि जारी करना।

प्रस्तावक संस्थान की जिम्मेदारियां

• एसपीसी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित उद्देश्यों के अनुसार समय सीमा के भीतर अध्ययन को पूर्ण किये जाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करना।

• एसपीसी के आदेश/दिशा–निर्देश अनुसार प्रगति रिपोर्ट, अंतरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और यथा आवश्यक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चत करना।

• एसपीसी से प्राप्त अनुदान से क्रय की गई परिसंपत्तियों एवं अभिलेखों/साहित्यों का दिशा निर्देश अनुसार संधारण।

• एसपीसी को उपयोगिता प्रमाण पत्र, वाउचर, व्यय विवरण प्रस्तुत करना और किसी भी अव्ययित राशि की वापसी।

नियम और शर्तें

• अनुदान की पहली किस्त अध्ययन हेतु स्वीकृत अनुदान राशि का 40 प्रतिशत होगी जो स्वीकृति आदेश के जारी होने के बाद प्रधान अन्वेषक को प्रदाय करने के लिए संस्था प्रमुख को जारी किया जाएगा।

•संस्था प्रमुख से प्रथम अंतरिम रिपोर्ट, अनुदान की पहली किस्त का व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किस्त की राशि कुल स्वीकृत अनुदान राशि का 30 प्रतिशत योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार संस्था प्रमुख को जारी किया जायेगा।

• अध्ययन का अंतिम रिपोर्ट प्रस्तावक संस्था से अभिमत सहित सदस्य सचिव को प्राप्त होने के उपरान्त निम्नलिखित औपचारिकताएं पूर्ण किये जाने के उपरांत शेष 30 प्रतिशत की राशि अंतिम किस्त के रूप में जारी की जा सकेगीः–

मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उनके सुझावों को यथासंभव शामिल किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट पर्याप्त रूप से व्यापक होना चाहिए जिससे वह रिकार्ड में रखे जाने के उद्देश्य को पूरा कर सके। निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ राज्य योजना आयोग को एग्जीक्यूटिव समरी और सुझावों के साथ अंतिम रिपोर्ट भेजना अनिवार्य है :

• अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट की 5 प्रतिया(हार्ड कॉपी) एवं सॉफ्ट कॉपी ।

• निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान किए गए व्यय का समेकित मदवार विस्तृत विवरण, अध्ययनकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद।

• अध्ययन में किये गये वास्तविक व्यय के लिए निर्धारित प्रारूप में एक समेकित लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र, चार्टर्ड एकाउंटेंट, प्रधान अन्वेषक एवं संस्था प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद।

• अनुदान का अप्रयुक्त भाग, यदि कोई हो, एनईएफटी/आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के पक्ष में तैयार) के माध्यम से तुरंत वापस किया जाएगा।

• एसपीसी शासन के संबंधित विभागों के साथ अध्ययन के परिणामों को तथा रिपोर्ट को साझा और उपयोग कर सकती है। रिपोर्ट एसपीसी, प्रधान अन्वेषक और प्रस्तावक संस्थान की संयुक्त संपत्ति होगी।

• अध्ययन के पूरा होने के तुरंत बाद खातों का निपटान करने के लिए संस्थान जिम्मेदार होगा।

• रिपोर्ट का एग्जीक्यूटिव समरी, अध्ययन दस्तावेज, मोनोग्राफ, अकादमिक पत्र राज्य योजना आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जा सकेंगे।

• अध्ययन हस्तांतरणीय नहीं है।

• यदि प्रधान अन्वेषक स्वीकृत आदेश में दी गयी समय सीमा के अन्दर अध्ययन को पूर्ण करने में असफल रहता है तो प्रस्तावक संस्थान एवं प्रधान अन्वेषक जारी की गई सम्पूर्ण राशि को ब्याज सहित वापिस करने के लिए संयुक्त रूप से अथवा पृथक–पृथक उत्तरदायी होंगे।

• यदि प्रधान अन्वेषक को उसके मूल कार्यस्थल से किसी अन्य स्थान/संस्थान में स्थानांतरित किया जाता है, तो दोनों संस्थानों से अध्ययन के हस्तांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगा कि स्वीकृत अध्ययन के सुचारू संचालन के लिए प्रधान अन्वेषक का जिस संस्थान में स्थानान्तरण होता है उस संस्थान द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

विवाद का निपटारा

- इस समझौता ज्ञापन के किसी भी प्रावधान की व्याख्या और/या कार्यान्वयन और/या लागू करने के संबंध में किसी भी मतभेद या विवाद को आपसी परामर्श या दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से सौहार्द्रपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। मतभेद या विवाद के संबंध में आपसी परामर्श/बातचीत से निर्णय न हो पाने की स्थिति में माननीय उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

- इस अध्ययन के संपादन के दौरान किसी भी फील्ड स्टाफ, अध्ययनकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, चोट या किसी कानूनी कार्रवाई से उत्पन्न होने की स्थिति में स्वयं की संस्था के स्टाफ को छोड़कर अन्य किसी भी स्टाफ की देनदारी के लिए कोई भी पक्ष जिम्मेदार नहीं होगा।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

अ) दोनों पक्ष इसके उद्देश्यों और उद्देश्यों की भावना में इस समझौता ज्ञापन को निष्पादित करने के लिए सहमत हैं।

ब) इस समझौता ज्ञापन की दो हस्ताक्षरित प्रतियां हैं दोनों पक्षों द्वारा एक एक प्रति रखी जाएगी।

स) दोनों पक्षों ने अपने सक्षम अधिकारियों के द्वारा निम्नानुसार हस्ताक्षर किया जाकर उल्लेखित दिनांक और वर्ष से इस समझौता ज्ञापन का कियान्वयन निष्पादित किया है।

राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़, रायपुर के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए	**(अनुप कुमार श्रीवास्तव)** **सदस्य सचिव** **राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़**

स्थान :

दिनांक :

साक्षी :

(1) ----------

(2) ----------

---------- ---------- के लिए एवं की ओर से हस्ताक्षर किए गए।	

10/8/2022

स्थान : .....

दिनांक : .....

साक्षी : .....

(1) ----------

(2) ----------

अनुलग्नक - III

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना आयोग, छत्तीसगढ़ के आदेश क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा वित्त पोषित अध्ययन के प्रोत्साहन हेतु प्राप्त अनुदान राशि रु..... ..... (रुपये .....) (शब्दों में) का पूर्णतः/ अंशतः* उपयोग राज्य योजना आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था।

2. * अध्ययन की शेष/अव्ययित राशि रुपये ..... को राज्य योजना आयोग को चेक/ एनईएफटी/आरटीजीएस/ ड्राफ्ट (सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ के पक्ष में)/क्रमांक ..... दिनांक ..... के द्वारा वापस कर दी गई है।

3 * अध्ययन प्रस्ताव स्वीकृति से संबंधित आयोग के दिशा–निर्देश (यथा संशोधित जून 2022) की कंडिका–4(अ)(ii) के प्रावधान अनुसार क्रय किये गये उपकरण/ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं आदि, उल्लेखित शर्त अनुसार आयोग/संस्थान/विभाग में जमा कराया जाकर स्टॉक पंजी में विधिवत प्रविष्टि करा दी गई है। (जमा कराये जाने संबंधित पावती की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति भी संलग्न की जाये)।

*** (जो संबंधित नहीं है उसे काट दें)**

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(मुहर)

वैधानिक लेखा परीक्षक

(मुहर)

अनुलग्नक - IV

अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट के साथ अध्ययन का निष्कर्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

1. अध्ययन का शीर्षक .....
2. प्रधान अन्वेषक का नाम और पता .....
3. संस्था का नाम और पता .....
4. राज्य योजना आयोग की स्वीकृति सह अनुमोदन पत्र सं. ..... और तारीखः .....
5. अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि .....
6. अध्ययन का कार्यकाल .....
7. आबंटित कुल वित्तीय सहायता .....
8. प्राप्त कुल वित्तीय सहायता .....
9. अंतिम व्यय .....
10. अध्ययन का उद्देश्य
11. क्या उद्देश्य प्राप्त हुए .....
    (विवरण दें)
12. अध्ययन की उपलब्धियां .....
13. निष्कर्षों का सारांश .....
    (500 शब्दों में) (कृपया पृथक शीट संलग्न करें)
14. समाज के प्रति योगदान
    (विवरण दें)
15 नीतिगत निहितार्थ .....
    (विवरण दें)

प्रधान अन्वेषक के (नाम एवं हस्ताक्षर)